4.6.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत
ग्रा.पं. कांगा में अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई।
वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 15 के
नोटिस को छोड़कर शेष विपक्षीगण के नोटिस
गत पेशी पर तामील होकर प्राप्त हुए थे।
जो अवसर दिये जाने के उपरान्त भी हाजिर नहीं
होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती
है। विपक्षी क्र. 15 के फौत होने पर वारिसान
को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.5.18
को पेश किया गया था। ~~[illegible]~~ जिस पर बहस सुनी गई।
जो न्यायहित में स्वीकार की जाकर वारिसान को रिकार्ड
पर लिया जाता है। विपक्षी सं. 15 के वारिसान के नोटिस
पूर्व में तामील है, जो बावजूद तामील अनुपस्थित है।
प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन
स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से
लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.करना)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.16 / 2018

प्रार्थीगण

1.भलाराम पुत्र कबीरा
2.देदाराम पुत्र कबीरा
3.रड़मलराम पुत्र कबीरा
4.गीगादेवी पत्नि कबीरा
जाति मेगवाल
निवासी सेवरों की ढाणी(डंडाली)
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1.रावताराम पुत्र प्रहलादराम
2.गंगाराम पुत्र प्रहलादराम
3.हनुमानराम पुत्र प्रहलदाराम
4.धन्नी बेवा प्रहलादराम
5.रायमल पुत्र हरूपा
6.भैराराम पुत्र हरूपा
7.सोनाराम पुत्र हरूपा
8.रावता पुत्र हरखा जाति जाट
निवासी सेवरों की ढाणी(डंडाली)
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
9.धर्माराम पुत्र मूलाराम
10.पाबुराम पुत्र मूलाराम
11.हीराराम पुत्र मगाराम
12.अमियों पत्नि मगाराम जाति जाट
निवासी सेवरों की ढाणी (डंडाली)
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
13.ठाकरसिंह पुत्र धोकलसिंह
14.उदयसिंह पुत्र धोकलसिंह
15.पुजराजसिंह पुत्र किशनसिंह के
वारिसान
15 / 1 गंगासिंह पुत्र पूजराजसिंह
15 / 2 लेहरोदेवी पत्नि पूजराजसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी डंडाली

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

16.सवाराम पुत्र प्रागाराम

17.फुआराम पुत्र प्रागाराम

18.चूनाराम पुत्र प्रागाराम

19.उदाराम पुत्र पदमाराम

20.चतराराम पुत्र पदमाराम जाति मेगवाल निवासी सेवरो की ढाणी (डंडाली) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

21.दुर्गाराम पुत्र चमनाराम

22.राजूराम पुत्र चमनाराम

23.मूलाराम पुत्र चमनाराम जाति मेगवाल निवासी सेवरों की ढाणी (डंडाली)

24.गोमाराम पुत्र पोलाराम

25.हनुमानराम पुत्र गोमाराम

26.थानाराम पुत्र गोमाराम

27.अचलाराम पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी सेवरों की ढाणी(डण्डाली) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री भंवरलाल सारण,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी स.1 से 27 एकरतफा।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश

दिनांक–4.6.2018

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सेवरों की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 280 रकबा 222–16 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा भूमि ग्राम सेवरों की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली लहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 280 रकबा 222–16 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सेवरों की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 280 रकबा 222–16 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम सेवरों की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 280 रकबा 222–16 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम सेवरों की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 280 रकबा 222–16 बीधा भूमि का प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2070 से 2073 से

उपखण्ड अधिकारी
अधिकारी उपखण्ड
सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहता है,विप्राथीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थीगण का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम सेवरों की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 280 रकबा 222–16 बीधा भूमि के सबंध में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करे। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थी द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 4/6/18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner